

प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा की अध्यक्षता में दिनांक 30.01.2026 को अपराहन 05:00 बजे से प्रमंडलीय समन्वय समिति की बैठक में गृह विभाग अन्तर्गत विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित आयोजित समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :- जिला पदाधिकारी, सहरसा।

जिला पदाधिकारी, सुपौल।

जिला पदाधिकारी, मधेपुरा।

पुलिस अधीक्षक, सहरसा।

पुलिस अधीक्षक, सुपौल।

पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा।

सर्वप्रथम प्रमंडलीय आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा द्वारा बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण का स्वागत किया गया। तत्पश्चात विधि व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण करने हेतु मिशन मोड में कार्रवाई करने तथा इसके नियमित अनुश्रवण हेतु बिंदुवार निम्न निर्देश दिये गये :-

1. गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर विधि-व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण से संबंधित मामलों की समीक्षा की जाती है तथा विभागीय स्तर पर कार्रवाई का निदेश प्राप्त होता रहता है। गृह विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-9430 दिनांक 26.08.2025 एवं अद्यतन पत्रांक-13163 दिनांक 23.12.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये कंडिकावार प्रपत्र के आधार पर कोशी प्रमंडल के तीनों जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन की समीक्षा की गई। आपराधिक घटना की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कोशी प्रमंडल के सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा जिलों में लंबित कांडों की संख्या क्रमशः 427,456, एवं 393 है। प्रतिवेदित माह में निष्पादित कांडों की संख्या क्रमशः 14, 36 एवं 25 है। निदेशित किया गया कि लंबित मामलों को माहवार सूचीबद्ध कर लें तथा शीघ्र नियमानुसार प्रभावकारी गिरफ्तारी एवं अनुसंधान सुनिश्चित करायी जाय।
2. त्वरित गिरफ्तारी/वारंट की कार्रवाई में कोशी प्रमंडल के तीनों जिले सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा में कुल लंबित अजमानतीय वारंट की संख्या क्रमशः 281, 316 एवं 396 है। निदेशित किया गया कि विभिन्न थानों में लंबित गैर जमानतीय वारंट का तामिला समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जाय। गंभीर मामलों में वारंट का तामिला प्राथमिकता के आधार पर किया जाय।
3. सुपौल एवं मधेपुरा जिले में लंबित कुर्की की संख्या क्रमशः 290 एवं 74 है। इसपर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
4. कोशी प्रमंडल के सहरसा एवं मधेपुरा जिले में सत्यापन हेतु लंबित शस्त्र की संख्या क्रमशः 73 एवं 120 है। इसपर त्वरित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।
5. कोशी प्रमंडल के सहरसा एवं मधेपुरा जिले में निर्वाचन संबंधी अपराध के अंतर्गत लंबितवादों की संख्या क्रमशः 03 एवं 05 है। निदेशित किया गया कि शीघ्र इनवादों का निष्पादन किया जाय।
6. सभी थानों द्वारा प्रत्येक दिन दिवा, संध्या एवं रात्रि गश्ती प्रभावशाली ढंग से किया जाय तथा इसको प्रभावकारी बनाने हेतु थानावार समीक्षा नियमित रूप से किया जाय। गंभीर अपराधों पर नियंत्रण, त्वरित अनुसंधान, त्वरित विचारण एवं गिरफ्तारी के संबंध में थाना-वार विशेष अभियान चलाया जाय।
7. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला विधिक अनुश्रवण समिति (DLMC) की बैठक में अनिवार्य रूप से भाग लिया जाय।
8. कोशी प्रमंडल के जिलों में दुर्दांत अपराधियों, भू-माफिया, शराब-माफिया को चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी रूप से Crime Control Act and BNSS के तहत ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाय तथा इनके अवैध रूप से अर्जित संपत्ति की जप्ती हेतु कानूनी कार्रवाई की जाय।
9. महिला उत्पीड़न, बच्चों की तस्करी एवं मानव व्यापार जैसे गंभीर मामलों में संलिप्त व्यक्तियों/संगठित गिरोहों को चिन्हित कर इनके विरुद्ध CCA के अन्तर्गत कठोर कार्रवाई की जाय। हर्ष फायरिंग पर

- रोक लगाने हेतु सभी थानों द्वारा सतर्कता बरती जाय। साथ ही सार्वजनिक रूप से अश्लील गाने (जिससे बिहार राज्य की छवि धूमिल होती है) पर प्रभावी रोकथाम किया जाय।
10. जिला अन्तर्गत संचालित सभी महिला/बालिका हॉस्टल/निजी छात्रावास/सरकारी छात्रावास/आवासन गृह/आश्रय गृह आदि की जांच हेतु महिला दंडाधिकारी एवं महिला पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में जांच दल गठित करते हुए 15 दिनों के अंदर जांच करायी जाए। तथा जाँच के क्रम में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर त्वरित कानूनी एवं प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।
  11. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दर्ज मामलों में ससमय अनुसंधान एवं पीड़ित पक्ष को मुआवजा भुगतान करने हेतु सकारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
  12. जिला अंतर्गत शस्त्र प्रतिष्ठान/दुकान का नियमित निरीक्षण करते हुए प्रतिवेदन विभागीय पोर्टल NDAL पर नियमित रूप से अपलोड किया जाय। साथ ही आयुध नियम-2016 के तहत जिले में कार्यरत आयुध विनिर्माण इकाई/शस्त्र प्रतिष्ठान/दुकान के शस्त्र एवं कारतूस के स्टॉक पंजी संधारण के छमाही प्रतिवेदन संबंधित विवरणी नियमित रूप से विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जाय।
  13. आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत एक UIN पर कोई भी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी दो शस्त्र ही धारित कर सकते हैं। दो शस्त्र से अधिक मामलों में शस्त्र अनुज्ञप्ति रद्द करने तथा शस्त्र को पुलिस थाने में जमा कराने हेतु कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाय।
  14. विगत विधानसभा चुनाव 2025 में जिला दण्डाधिकारी-सह-अनुज्ञापन पदाधिकारी के आदेश के बावजूद शस्त्र निरीक्षण नहीं कराने तथा थाना में जमा नहीं कराने वाले शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञप्ति को रद्द/निलंबित करने की कार्रवाई नियमानुसार शीघ्र की जाय।
  15. Arms Rule, 2016 के नियम 13 के तहत शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन का निस्तार निर्धारित समय सीमा के अंदर करना है। इस मामले में विलंब के संदर्भ में शिकायतें प्राप्त होती रहती है। जिला दंडाधिकारी ऐसे मामलों की समीक्षा कर लेंगे तथा प्राप्त आवेदनों का सकारण आदेश से निर्धारित समय सीमा में निस्तार करने का प्रयास करें। साथ ही नियम-14 के तहत निर्धारित समय सीमा में पुलिस प्रतिवेदन भेजने की कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे।
  16. सरकारी भूमि के अतिक्रमण के संदर्भ में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से समीक्षा कर लें तथा क्रमिक रूप से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करें। तथा यह भी सुनिश्चित करें कि पुनः उस जगह पर अतिक्रमण न हो।
  17. बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त परिवादों के शीघ्र निस्तार किया जाना आवश्यक है। लोक प्राधिकार का यह दायित्व है आवश्यक जाँच पड़ताल कर परिवाद के बिन्दुओं को विनिश्चित करते हुए अनुवर्ती कार्रवाई करें एवं तदनुसार प्रतिवेदन भेजें। कई मामलों में संबंधित थानाध्यक्ष के स्तर से सीधे प्रतिवेदन प्राप्त होता है, जो इस कानून के प्रति पदाधिकारी के उदासीनता को दर्शाता है। जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष दाखिल परिवादों में लोक प्राधिकार के रूप में पुलिस अधीक्षक को ही परिवाद की जाँच कराकर विनिश्चय करते हुए कार्रवाई करनी है। इसे कनीय पदाधिकारियों पर छोड़ना उचित स्थिति नहीं है। भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय।
  18. भूमिहीन थाना/अन्य पुलिस प्रतिष्ठान/भूमिहीन अग्निशामालय के भवन निर्माण हेतु निःशुल्क अंतर्विभागीय हस्तांतरण संबंधित लंबित मामले के शीघ्र निष्पादन के संबंध में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।
  19. अवैध हथियारों/विस्फोटकों की बरामदगी तथा शस्त्र अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम संबंधित अपराध के अन्तर्गत दर्ज कांडों का निष्पादन विशेष अभियान चलाकर किया जाय।
  20. आगामी त्योहारों यथा: होली, रामनवमी एवं ईद के अवसर पर विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से सतर्कता बरती जाय। सभी स्तरों पर शांति समिति की बैठक यथा समय सुनिश्चित करा ली जाय।



विधि व्यवस्था के संधारण के दृष्टिकोण से समय पूर्व असामाजिक तत्वों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध BNSS की धाराओं के तहत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित कर ली जाय।

21. बैंक डकैती, फिरौती हेतु अपहरण, बलात्कार इत्यादि के मामलों पर कड़ी नजर रखने एवं त्वरित अनुसंधान कर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाय। शहर के बड़े दुकानों, बैंक, ज्वेलरी दुकान का सुरक्षा ऑडिट एक माह के अंदर किया जाय। इसके लिए संबंधित अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।
22. भूमि विवाद के समाधान हेतु प्रत्येक शनिवारीय बैठक में अंचल अधिकारी के साथ थाना प्रभारी की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय। इन बैठकों के माध्यम से प्रभावी रूप से भूमि विवाद की समस्या का निराकरण किया जाय। अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष के स्तर से भूमि विवाद के मामलों में संगत नियमानुसार एकरूपता से कार्रवाई की जाय। किसी भी स्थिति में प्रश्नगत भूमि पर वैधानिक अधिकार धारित करने वाले लोगों को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाय तथा वैधानिक अधिकार धारित रहने/नहीं रहने का विनिश्चय संगत साक्ष्यों के आधार पर सही-सही किया जाय। इसके लिए संबंधित अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी। कृत कार्रवाई का ब्यौरा भू-समाधान पोर्टल पर अपलोड किया जाय।
23. अपराधों के अनुसंधान एवं आमजनों में विश्वास को सुदृढ़ करने के लिए CCTV एक महत्वपूर्ण कारक है। सभी संबंधित जिलों में महत्वपूर्ण स्थानों एवं सभी थानों में CCTV अधिष्ठापन एवं उसकी क्रियाशीलता के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाय।
24. **Cyber Crime** के तहत दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाय। **Cyber Crime** के रोकथाम हेतु सोशल मीडिया पर आपबीती घटना से संबंधित वीडियो डालकर जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जाय।
25. सोशल मीडिया के **Outreach** को देखते हुए सोशल मीडिया सेल में कुशल कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाय तथा जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन द्वारा किये जा रहे अच्छे कार्यों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रचारित किया जाय ताकि आम जनता को उसकी जानकारी मिल सके तथा आमजन के बीच प्रशासन की छवि बेहतर हो सके।
26. नीलाम पत्र वादों के प्रगति की समीक्षा राजस्व पर्षद के स्तर से की जा रही है। अद्यतन प्रतिवेदन के अनुसार लंबित BW/DW एवं विगत 6 माह में वारंट **Execution** की जिला-वार स्थिति निम्नवत है :-

| क्र0 | जिला का नाम | दिनांक 01.01.2026 तक लंबित BW | दिनांक 01.01.2026 तक लंबित DW | विगत 06 माह में BW Execution | विगत 06 माह में DW Execution |
|------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 01   | 02          | 03                            | 04                            | 05                           | 06                           |
| 01   | सहरसा       | 400                           | 12                            | 3                            | 0                            |
| 02   | सुपौल       | 555                           | 181                           | 38                           | 0                            |
| 03   | मधेपुरा     | 1148                          | 0                             | 34                           | 0                            |

प्रतिवेदन के अनुसार BW/DW के मामले में सहरसा जिला की स्थिति अत्यंत खराब है। इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। ताकि राजस्व पर्षद के समक्ष प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न न हो।

27. सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अपराध एवं विधि-व्यवस्था पर नियंत्रण ऐसा हो कि अपराधियों में भय व्याप्त हो तथा कानून पसंद जनता के मन में प्रशासन के प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो।
28. सरकार के निर्णय के आलोक में सात निश्चय-3 के तहत योजनाओं एवं कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाना है। राज्य अंतर्गत उद्यमों के लिए बेहतर वातावरण बनाये रखना आवश्यक है। नये उद्यमों के अधिष्ठापन तथा पूर्व के उद्यमों के कार्य में विधि व्यवस्था सहित अन्य किसी प्रकार की समस्या न हो इसे सुनिश्चित किया जाय।

29. iRAD/eDAR Cases की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि iRAD Cases में सहरसा जिला में 60/ सुपौल में 90/ मधेपुरा में 74 Cases तथा eDAR Cases में सहरसा जिला में सर्वाधिक मामले लंबित हैं। चूंकि यह Road Accident में मृतक/गंभीर रूप से जख्मी लोगों के परिजनों को मुआवजा की राशि का भुगतान करने से संबंधित है। अतः इस मामले का निपटारा समयबद्ध रूप से किया जाय।

अंत में बैठक की कार्यवाही सधन्यवाद समाप्त की गयी।

R  
आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक 718...../सहरसा, दिनांक 31-1-2026

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक, सहरसा, सुपौल एवं मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस उप महानिरीक्षक, कोशी प्रक्षेत्र, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

R  
आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा

ज्ञापांक 718...../सहरसा, दिनांक 31-1-2026

प्रतिलिपि :- अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :- मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Rmk.  
21/1/2026.

आयुक्त

कोशी प्रमंडल, सहरसा